संख्या- 5 /2020/वे0आ0-2-550/दस-2020-62(एम)/2008टी0सी0-1

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 2020**

विषय - सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू की गयी सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) योजना के सम्बन्ध में जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09 अगस्त, 1999 के संलग्नक-1 में इस लाभ की स्वीकृति सम्बन्धी शर्तों को निर्धारित करते हुये शर्त संख्या-8 में एवं इसी प्रकार संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एम0ए0सी0पी0) व्यवस्था लागू करते समय इसके संलग्नक-1 के शर्त संख्या-20 में यह प्राविधान किया गया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाले लाभ पूर्णतया वैयक्तिक हैं और इन लाभों के आधार पर किसी समय बिन्दु पर किसी कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन से अधिक होने की स्थिति में उसी तिथि से वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ के बराबर नहीं किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा किया गया उक्त प्रावधान निम्नवत् हैः-

> The financial upgradation under the ACP scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevence to his seniority position. As such there shall be no additional financial upgradation for the senior employee on the ground that the junior employee in the grade has got higher pay scale under the ACP Scheme.

2- राज्य सरकार द्वारा भी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-1(15) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन व्यवस्था के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मॉग नहीं करेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-1 एवं 2 में उल्लिखित प्रावधानों के बावजूद राज्य सरकार के सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेशों में कहीं-कहीं पर असंगत प्राविधान एवं उदाहरण होने के कारण वित्त विभाग में प्रायः अनेक ऐसे प्रकरण संदर्भित होते रहते हैं, जिनमें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था का लाभ प्राप्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक हो जाने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का भी वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। यह स्थिति सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत है।

`

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अतएव उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा यह स्पष्टीकरण जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है कि सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेशों में जहां कहीं भी इस प्रकार के असंगत प्राविधान एवं उदाहरण विद्यमान हैं जिनमें सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था का लाभ प्राप्त कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ कार्मिक के वेतन से अधिक हो जाने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक का भी वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर किये जाने का उल्लेख है उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाना है और वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के वेतन के बराबर नहीं किया जाना है।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5/2020/वे0आ0-2-550(1)/दस-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सरयू प्रसाद मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।